

मंडल आयोग

प्रलिस के लयः

अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, आरक्षण, इंदरा साहनी केस, OBC आरक्षण, मंडल आयोग, रोहणी आयोग ।

मेन्स के लयः

मंडल आयोग, आरक्षण: लाभ और चुनौतियाँ ।

चर्चा में क्यों?

- बहिर में शुरु हुए [जात सखेक्षण](#) के दूसरे चरण के साथ ही कई अन्य राजनीतिक बहसों के कारण मंडल राजनीति एक बार फरि सुखयिों में आ गई है ।

मंडल राजनीति और मंडल आयोग:

■ परचयः

- मंडल राजनीति का आशय **1980 के दशक में उभरे ऐसे राजनीतिक आंदोलन** से है जसिमें सरकारी नौकरयिों और शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समुदायों (वशिष रूप से अन्य पछिड़ा वर्ग- ओबीसी) को शामिल करने पर बल दिया गया था ।
- इस आंदोलन का नाम **मंडल आयोग के नाम पर रखा गया था** ।

■ मंडल आयोग:

- मंडल आयोग या [दूसरा सामाजिक एवं शैक्षणिक पछिड़ा वर्ग आयोग](#) को वर्ष 1979 में भारत के 'सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पछिड़े वर्गों' के लोगों की पहचान करने के लिये गठित किया गया था ।
 - इसकी अध्यक्षता **बी.पी. मंडल** ने की थी और इसने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष **1990 में इसे लागू किया गया था** ।
- इस आयोग की रिपोर्ट से पता चला कि देश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग से संबंधित है ।
- प्रारंभ में आयोग ने तर्क दिया कि सरकारी सेवा में आरक्षण के प्रतिशत को इस प्रतिशत से मेल खाना चाहिये ।
 - हालाँकि यह **एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले (1963) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गया**, जसिने **50% की सीमा** निर्धारित की थी । SC और ST के लिये पहले से ही 22.5% आरक्षण था ।
- इसलिये OBC के लिये आरक्षण को 27% पर सीमित कर दिया गया था ।
 - आयोग ने गैर-हटिओं के बीच पछिड़े वर्गों की भी पहचान की ।

■ मंडल आयोग की सफारिशें:

- OBC को **सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरयिों में 27% आरक्षण** प्रदान किया जाना चाहिये ।
- उन्हें **सार्वजनिक सेवाओं के सभी स्तरों पर पदोन्नति में समान 27% आरक्षण** प्रदान किया जाना चाहिये ।
- आरक्षित कोटा, यदि पूरा नहीं किया गया है, को **3 वर्ष की अवधि के लिये आगे बढ़ाया** जाना चाहिये ।
- OBC को SC और ST के समान आयु में छूट प्रदान की जानी चाहिये ।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, सरकारी अनुदान प्राप्त नज्जि क्षेत्र के उपक्रमों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये ।
- सरकार इन सफारिशों को लागू करने के लिये आवश्यक कानूनी प्रावधान करे ।

■ मंडल आयोग का प्रभाव:

- मंडल आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सरकार को व्यापक वरीध का सामना करना पड़ा और जब सरकार ने इसे लागू करने का नरिणय लया तो जहाँ छात्रों ने वरीध में आत्मदाह कया।
- कार्यान्वयन को अंततः [इंदरल साहनी बनाम भारत संघ](#) मामले में चुनौती दी गई थी।

इंदरल साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय का रुखः

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने OBC के लय 27 परतशत आरक्षण को संवैधानकल रूप से वैध माना लेकनल कुछ शर्तों के साथः
 - न्यायालय ने कहा कलआरक्षण 50 परतशत कैप की सीमा में ही होना चाहयल और पदोनूनतलमें इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहयल।
 - [करीमी लेयर](#) की अवधारणा भी न्यायालय द्वारा समुदाय के संपन्न लोगों को बाहर करने के लय पेश की गई थी।
 - [कैरी फॉरवर्ड नयम](#) (जसलके द्वारा आगामी वर्ष में अपूरण रकतयों को भरा जाता है)को 50 परतशत की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहयल।

मामलों	प्रलय	वलवाद
मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन, 1950	कोर्ट ने फैसला सुनाया कल जातल आधारलत आरक्षण संवलधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन करता है। इसने कहा कल आरक्षण समानता का अपवाद है और इसलिए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।	संवलधान के पहले संशोधन की शुरुआत हुई, जलसने फैसले को अमान्य कर दया।
एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, 1963	कॉलेज प्रवेश में मैसूर सरकार के 68% आरक्षण को अत्यधिक और अनुचित माना गया था, और इसे 50% पर रोक दया गया था।	सुप्रीम कोर्ट ने इंदरल साहनी मामले में 1992 में आरक्षण पर 50% की सीमा लगा ली की।
देवदासन बनाम भारत संघ, 1964	अदालत ने फैसला सुनाया कल यदल आरक्षण 50% से अधिक हो जाता है तो वे अमान्य होंगल।	आरक्षण को युक्तलसंगत बनाया गया और इसे समानता का पहलू करार दया गया।
केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस	इस वलचार की पुष्टि की कल आरक्षण कोई अपवाद नहीं है बल्लक समानता स्थापलत करने के ललए आवश्यक है। इसने फैसला सुनाया कल अनुच्छेद 16 (1) की समानता की अवधारणा में अब तक बल्लिष्कृत वर्गों के ललए उचित प्रतिनलधलत्व सुनलधलत करने के ललए उपचारालत्मक कार्रवाई शामिल है।	इस फैसले को आरक्षण के दर्शन का पहला नलधलत न्यायलक समर्थन माना जाता है।
इंदर साहनी और अन्य बनाम भारत संघ, 1992	अदालत ने ओबीसी के ललए अलग आरक्षण को बरकरार रखा लेकनल "क्रीमी लेयर" को बाहर कर दया। इसने आर्थलक आरक्षण को खारलज कर दया और सभी आरक्षणों के ललए 50% की सीमा नलधरलत की।	1999 में इस मामले को फलर से दबाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के बल्लिष्करण की फलर से पुष्टि की और इसे SCS और STS तक बढ़ा दया।
एम नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2007	77वें संशोधन को बरकरार रखा जलसने एससीएस और एसटीएस के ललए रोजगार में पदोनूनतल के ललए आरक्षण बढ़ाया।	अदालत ने फैसला सुनाया कल पदोनूनतल को पलछड़ेपन, प्रतिनलधलत्व और दक्षता की आवश्यकता के ट्रलपल टेस्ट को पूरा करना चाहल। बैकलॉग रलक्तयों को 50% की सीमा से बाहर रखा गया था।
LRS द्वारा I. R. Coelho (मृतक)। की। तमललनाडु राज्य, 2007	तमललनाडु को सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण सीमा का पालन करने की सलाह दी।	तमललनाडु आरक्षण को संवलधान की 9वीं अनुसूची के तहत रखा गया था, जलसे अदालत ने पहले ही बरकरार रखा था।
पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2005	सरकारी अनुदान प्राप्त न करने वाले नलजी शलक्षण संस्थानों पर आरक्षण लागू नहीं कया जा सकता है।	93वें संवलधान संशोधन के नेतृत्व में अनुच्छेद 15(5) पेश कया गया।
अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, 2007	गैर सहायता प्राप्त शलक्षण संस्थानों में प्रवेश के ललए आरक्षण पर 93वें संशोधन को बरकरार रखा।	प्रत्येक 10 वर्षों में पलछड़ेपन की अनुशंसलत समीक्षा।
राम सलंह और अन्य बनाम भारत संघ, 2014	ओबीसी की केंद्रीय सूची में जाटों को शामिल कलए जाने पर कड़ा प्रहार कया।	पलछड़ेपन को नलधरलत करने के ललए नए तरीके प्रस्तावलत कलए।
Jaishri Laxmanrao Patil v Union of India, 2021	मराठा आरक्षण को असंवैधानलक बताते हुए रद्द कर दया गया।	आरक्षण पर 50% की सीमा की फलर से पुष्टि की गई।
Janhit Abhiyan vs Union Of India, 2022	शलक्षा और सार्वजनलक रोजगार में आर्थलक रूप से कमजोर वर्गों के ललए 10% आरक्षण पेश करने वाले 103वें संशोधन को बरकरार रखा।	एक नई आरक्षण व्यवस्था बनाई गई।

मंडल आयोग की वरीषताएँः

- **परतनलधलतलत्व में वृद्धलः** मंडल आयोग ने सरकारी नौकरयों और शैक्षणलक संस्थानों में SEBC के परतनलधलतलत्व को बढ़ाने में मदद की।
 - सामाजलक न्याय और अधलकारलतल मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2014-2021 के दौरान सीधी भरती के माध्यम से कुल नयुक्तलके खललफ OBC का परतनलधलतलत्व लगातार 27 परतशत से ऊपर था।
- **शलक्षा तक पहुँचः** आरक्षण नीतल ने कई OBC छात्रों को उच्च शलक्षा तक पहुँच में सक्षम बनाया है। इसके परणलमस्वरूप वशल्ववलद्यालयों और कॉलेजों में OBC छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धलहुई।

◦ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2014-2021 की अवधि के दौरान 2014-15 से उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC का नामांकन लगातार बढ़ रहा है।

- **सामाजिक न्याय:** मंडल आयोग की सिफारिशें सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थीं और इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर उन लोगों को समान अवसर प्रदान करना था जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं।

मंडल आयोग के दोष:

- **समाज के उत्थान पर सीमा प्रतिभाव:** इसका प्रभाव बहुत कम समुदायों तक सीमा रहा है। **न्यायमूर्ति रोहिंगी जी. आयोग** के अनुसार, OBC में लगभग 6,000 जातियों और समुदायों में से केवल 40 समुदायों को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं सविलि सेवाओं में भरती हेतु 50% आरक्षण का लाभ मिला।
- **राजनीतिकरण:** राजनेताओं ने प्रायः **आरक्षण को अपने वोट बैंक की राजनीति के रूप में** इस्तेमाल किया है। वर्ष 1980 के दशक के दौरान मंडल आयोग को **राजनीति का एक नया रूप राजनीति-मंडल** देते हुए अत्यधिक राजनीतिकरण किया गया था।

◦ अभी भी इसका प्रयोग एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जाता है। हाल ही में कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान एक राजनेता ने SC/ST/OBC आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की मांग की है।

- **योग्यता/भेद पर नकारात्मक प्रभाव:** आरक्षण नीति का योग्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि इस कारण **कई योग्य उम्मीदवारों को सीट प्राप्त नहीं हुई, जबकि कम योग्यता वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया था।**

आगे की राह

- **आरक्षण नीति की समय-समय पर समीक्षा:** **2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025 (1992)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये आरक्षण नीति की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिये।
- **शिक्षा के प्रारंभिक स्तर में सुधार:** सरकार को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर में सुधार करने का प्रयास करते रहना चाहिये ताकि उच्च स्तर पर आरक्षण आसानी से समाप्त हो सके।
- **नजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ाना:** सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र और रोजगार के लिये आरक्षण पर निर्भरता को कम करने हेतु नजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ाने के लिये प्रयास करना चाहिये।

स्रोत: द द्रिष्टि